

## “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” (NULM)

रोजगार जनित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम— “उत्थान”

- ☞ क्या आप नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निवासरत हैं ?
- ☞ क्या आप बेरोजगार/अल्प रोजगारी हैं ?
- ☞ क्या आपके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से कम है ?
- ☞ क्या आप रोजगार अथवा स्वरोजगार के इच्छुक हैं ?

यदि इन प्रश्नों के उत्तर 'हाँ' है तथा आपके द्वारा 'उत्थान' कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है, तो आप निम्न लाभ प्राप्त कर सकते/सकती हैं:-

- ☞ रोजगार जनित ट्रेडों पर प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से निःशुल्क दिवसीय व आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा।
- ☞ प्रशिक्षण मुख्यतः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित।
- ☞ सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट
- ☞ सुयोग्य अभ्यर्थियों को रोजगार की उपलब्धता
- ☞ स्वरोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को अनुदानित ब्याज दर पर अधिकतम ₹ 2.00 लाख के व्यक्तिगत ऋण की सुविधा

मुख्य प्रशिक्षण सेक्टर/ट्रेड

|   |   |
|---|---|
| आटोमोबाईल रिपेयर                          | हास्पिटैलिटी  |
| बैंकिंग व एकाउंटिंग                       | इंफार्मेशन एंड कम्प्यूनिकेशन टेक्नोलोजी (कम्प्यूटर कोर्सेज) |
| ब्यूटी कल्चर एवं हेयर ड्रेसिंग            | मेडिकल एंड नर्सिंग  |
| इलेक्ट्रिकल                               | प्लास्टिक प्रोसेसिंग  |
| इलेक्ट्रो मैकेनिकल                        | प्रिंटिंग   |
| इलेक्ट्रानिक्स                            | कोरियर एंड लाजिस्टिक्स                                      |
| फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन            | इंडियन स्वीट्स स्नैक्स एंड फूड                              |
| फ्रेब्रिकेशन                              | बीमा  |
| सिक्यूरिटी                                | पेंट  |
| फैशन डिजाईनिंग                            | रेफ्रिजिरेशन एंड एयर कंडीशनिंग                              |
| जेम एंड ज्वैलरी                           | रिटेल   |
| गुड वर्क                                  | ट्रेवल एंड टूरिज्म  |
| अन्य सेक्टर (डी0जी0ई0टी0-एम0ई0एस0 आधारित) |   |

अधिक जानकारी हेतु हमारी वेब साईट— [www.udd.uk.gov.in](http://www.udd.uk.gov.in) अथवा सम्बन्धित नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के मुख्य नगर अधिकारी/अधिकासी अधिकारी से तत्काल संपर्क स्थापित करें।

मिशन से आच्छादित नगर— देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर, अल्मोडा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रपुर, चमोली-गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग

आवेदन पत्र पृष्ठ भाग में टंकित हैं



राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), देहरादून  
टैलीफैक्स-0135:2672885, ई-मेल: directorsudauk@gmail.com

# “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन” (NULM)

रोजगार जनित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम- “उत्थान”

## आवेदन पत्र

अभ्यर्थी का  
स्वप्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम-
2. पिता/पति का नाम-
3. श्रेणी- (सामान्य/अनु0जाति/अनु0जन0/अन्यपिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक)
4. लिंग- (पुरुष/महिला)
4. पता-

.....  
.....  
(स्थानीय निवास का प्रमाण- स्थायी निवास प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/बिजली या पानी का बिल आदि संलग्न करें)

5. संपर्क/मोबाईल नम्बर-
6. ई-मेल -
7. जन्म तिथि-
8. शैक्षिक योग्यता- (अंतिम शैक्षिक योग्यता का अभिलेख संलग्न करें)

| उत्तीर्ण परीक्षा | वर्ष | विषय | श्रेणी |
|------------------|------|------|--------|
| पांचवी           |      |      |        |
| आठवी             |      |      |        |
| हाईस्कूल         |      |      |        |
| इण्टरमीडिएट      |      |      |        |
| स्नातक           |      |      |        |
| अन्य             |      |      |        |

9. परिवार की वार्षिक आय-

(वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से कम होने संबंधी अभिलेख संलग्न करें (यथा- बी0पी0एल0 कार्ड अथवा मेयर/अध्यक्ष/वार्ड मेम्बर/तहसीलदार अथवा सक्षम प्राधिकारी से दिया गया प्रमाण पत्र अथवा सत्यापन आदि)

10. आवेदित प्रशिक्षण सेक्टर/ट्रेड- (वरीयता कम इंगित करें)

(i).

(ii).

(iii).

(प्रशिक्षण सेक्टर/ट्रेड सूची से चयनित करें। अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु वेब साईट- [www.udd.uk.gov.in](http://www.udd.uk.gov.in) अथवा सम्बन्धित नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से जानकारी प्राप्त करें)

11. प्रशिक्षण केन्द्र वरीयता-

(i).

(ii).

(iii).

(मिशन आच्छादित नगरों से चयनित करें)

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

### घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचना मेरी जानकारी में सही हैं। मेरे द्वारा पूर्व में उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है तथा प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत यदि मेरे द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रशिक्षण की लागत मेरे से वसूल कर ली जाय।

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर